जम्मू और कश्मीर में मारे गए भारतीय सैनिकों के आश्रितों को मुआवजा दिया जाना

3934. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या प्रधान मंत्री 23 मार्च 1995 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 142 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष के दौरान आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ों में मारे गए भारतीय सैनिकों के आश्रितों को किस प्रकार मुआवजा दिया गया ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : पिछले एक वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में मारे गए भारतीय सिपाहियों के परिवारों/आश्रितों/नजदीकी रिश्तेदारों को मुआवजे के रूप में निम्नलिखित लाभ दिए जा रहे हैं:—

1. जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा दी गयी दो लाख रु० की अनुग्रह राशि।

2. अधिकारियों और कार्मिकों, अधिकारी पद से नीचे के कार्मिकों दोनों को मृत्यु होने तक या अयोग्य होने तक उनके अंतिम वेतनमान के बराबर उदार विशेष पारिवारिक पेंशन, निर्धारित दरों पर फैमिली ग्रेच्युटी जो पद पर निर्भर करती हैं और सेवा-काल के आधार पर मृत्यु ग्रेच्यूटी भी ग्राह्य है।

3. सेना ग्रुप बीमा लाभ : परिवार, निम्नलिखित दरों पर ए०जी०आई० से मृत्यु लाभ के पात्र भी होंगे —

अधिकारी	3,85,000.00/–रुपए
जे.सी.ओ./अन्य पद–	1,65,000.00/–रुपए

4. अन्य लाभ : निम्नलिखित दरों पर वित्तीय सहायता लागू हैं :—

(क) सेना के अधिकारी, अधिकारी के नजदीकी रिश्तेदार 20,000/–रु० तक की अधिकतम वित्तीय सहायता, हितकारी विधि पाने के पात्र हैं ।

(ख)	आर्मी वाईफ वेलफेयर एसोसिएशन फंड	आफिसर	– 5,000/–रु०
		जे.सी.ओ.	– 4,000/–रु०
		अन्य	– 3 000/–रु०
(ग)	अपंग सैनिक विधवाएं और अनाथ फंड (डी.ए.सी.डब्लू.ओ.)	आफिसर	– 2,000/–रु०
		जे.सी.ओ.	– 1,500/–रु०
		अन्य	– 1,000/–रु०

रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि, सशस्त्र बल कार्मिक भविष्य निधि और अवकाश नकदीकरण जैसे लाभ के ग्राह्य हैं।

5 रोजगार सहायता : अभियानों में मारे गए या गंभीर रूप से जख्मी हुए सेना के कार्मिकों के दो आश्रितों डी.जी.ई. एण्ड टी./रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भरे जाने वाले ग्रुप "ग" और "घ" के पदों पर रोजगार के लिए प्राथमिकता के पात्र होते हैं।

6. शैक्षणिक छूट : सैन्य कार्रवाइयों में मारे गए रक्षा कार्मिकों या अपंग हुए कार्मिकों के बच्चे जो शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शैक्षिक संस्थानों में पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित छूट के हकदार हैं:—

(क) संबंधित शैक्षित संस्थानों द्वारा लिए जा रहे शिक्षा शुल्क और अन्य शुल्क में पूरी छूट।

(ख) आवासीय स्कूलों और कालेजों में पढ़ रहे बच्चों को छात्रावास के पूरे खर्च को वहन करने के लिए अनुदान।

(ग) पुस्तकों और लेखन सामग्री की पूरी लागत ।

(घ) जहां वर्दी आवश्यक है, वहां वर्दी की पूरी कीमत देना।

7. मकानों के निर्माण/मरम्मत के लिए अनुदान : मकानों के निर्माण/मरम्मत के लिए राज्य सरकारों द्वारा विधवाओं को दिए गए अनुदान की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति केन्द्र द्वारा की जाती है बशर्ते कि यह राशि 5000 रु० तक हो।

8. लड़कियों के विवाह हेतु अनुदान : केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, विधवा की लड़की की शादी के लिए 4,000 रु० का अनुदान देता है।

9. रेल यात्रा रियायतें : विधवाओं के लिए द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने के लिए रेल भाड़े में 75 प्रतिशत छूट उपलब्ध है।

10. पुर्नवास : पेट्रोलियम पदार्थ, सब्जी और दुग्ध उत्पादनों की बिक्री के लिए एजेंसियां आवंटित करना।

Interference of US Adinistration in J&K Affairs

3935. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there have been growing instances of interference by the U.S. administration in the affiairs of Jammu & Kashmir for sometime past;

(b) the nature of U.S. administration's interference which Government have found objectionable and/or contrary to the established conventions;

(c) whether Government have reacted to such interference; if so, the details thereof; and

(d) the details of response of the US administration thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) to (d) Media reports and statements of various US Officials and non officials on this question, have, from time to time, given rise to some misgivings. Pakistan has tried to take advantage of such reports and statements to further its own territorial designs in the State. In officials statements, the US Government has stated that the Kashmir problem should be resolved through bilateral dialogue between India and Pakistan and as a practical matter such bilateral dialogue needs to take into account the wishes of the Kashmiri people.

The Government of India have emphasised to the United States Government, as also to other friendly countries, that steps are being taken to restore peace and the democratice process in Kashmir. However, there is incontrovertible evidence that Pakistan-sponsored terrorism, including supply of arms, equipment, training and infiltration, and efforts to thwart the democratic process continue unabated. All this constitutes balatant interference in the internal affairs of India, and is in complete violation of all norms of inter-State conduct. The Government of India will continue to engage the US Government in the matter.

Infiltration from Charar town by Pak militants

3936. DR. BAPU KALDATE: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1605 given in the Rajya Sabha on 23rd March, 1995 and state:

(a) whether Charar township is an important infiltration point for Pak-militants; and